

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 28.8.23 को उ0नि0 कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा मार्टिनगंज रोड पूराने ढाबा के पास से अभियुक्त गोविन्द पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम सुरहन कोटिया थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 27 वर्ष को गिरफ्तार किया जिसके पास से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस.315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- गोविन्द पुत्र विजय राजभर ग्राम सुरहन कोटिया थाना दीदारगंज आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	113/20	419,420 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़
2	359/20	379,419,420,411,467,468,471 भादवि व 66 आईटी एक्ट	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
3	360/20	379,419,420,411,467,468,471 भादवि व 66 आईटी एक्ट	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
4	367/20	420 भादवि व 66सी आईटी एक्ट	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
5	123/19	420 भादवि व 66 आईटी एक्ट	अहिरौली	अम्बेडकरनगर
6	44/19	420 भादवि	आलापुर	अम्बेडकरनगर
7	222/20	411 भादवि व 66,66डी आईटी एक्ट	जहागीरगंज	अम्बेडकरनगर
8	99/19	420 भादवि	जलालपुर	अम्बेडकरनगर
9	218/23	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस.315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी, उ0नि0 कमलकान्त वर्मा मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- जीयनपुर
किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.07.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दिया कि मेरी पुत्री दिनांक 14.07.2023 से गायब है। वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 482/2023 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रमेश कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना अभियुक्त नईम अंसारी उर्फ नगगू पुत्र सफिक मुहल्ला राजेजीपुरम थाना धनिया का पुल सपना कालोनी थाना ताल कटोरा जनपद लखनऊ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक- 27/08/2023 को उ0नि0 रमेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुदमा उपरोक्त में प्राकाश में आये अभियुक्त नईम अंसारी उर्फ नगगू पुत्र सफिक मुहल्ला राजेजीपुरम थाना धनिया का पुल सपना कालोनी थाना ताल कटोरा जनपद लखनऊ को बागखालिस बाजार से समय करीब 21:45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- नईम अंसारी उर्फ नगगू पुत्र सफिक मुहल्ला राजेजीपुरम थाना धनिया का पुल सपना कालोनी थाना ताल कटोरा जनपद लखनऊ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 482/2023 धारा 363/ 366 ,376(3) भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 रमेश कुमाय यादव, मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़

थाना- पवई
हत्यारोपी 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 25.8.2023 को आवेदक विनय यादव पुत्र राममिलन यादव नि0 ग्रा0 फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि वादी के भाई विजय यादव उम्र 30 वर्ष को अभियुक्तो 1. जगदम्बा पुत्र विपत 2.सूरज पुत्र अरविन्द 3.जयहिन्द पुत्र लालजीत नि0गण ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ 4.शशिकान्त पुत्र रामकृपाल नि0 ग्रा0 महमदपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर हा0मु0 ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ ने शराब पिलाकर पोखरे में डूबाकर हत्या कर दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/2023 धारा 302/120बी भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 28.08.2023 को प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह मय हमराह, द्वितीय टीम के नि0अप0 अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1.जयहिन्द पुत्र लालजीत नि0 ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ 2. शशिकान्त यादव उर्फ फनगा पुत्र रामकृपाल यादव नि0 ग्राम महमदपुर सुरिस थाना शाहगंज जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ को ग्राम सरायपुल तिराहा से समय करीब 7.45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

- 1.जयहिन्द पुत्र लालजीत नि0 ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ।
2. शशिकान्त यादव उर्फ फनगा पुत्र रामकृपाल यादव नि0 ग्राम महमदपुर सुरिस थाना शाहगंज जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ।

पूछताछ का विवरण-

➡ गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 24.8.2023 की शाम को मै तथा मेरे दोस्त शशिकान्त और मृतक विजय यादव, फत्तनपुर मे रमेश सिंह के पोखरे पर भी हम तीनो लोग शराब पी रहे थे शराब पीते समय ही हमलोगो मे आपस मे कहा सुनी तू-तू, मै-मै हो गयी थी। मुझको और शशिकान्त को गुस्सा आ गया और हमलोग ने मृतक विजय को पोखरे मे दबा करके हत्या कर दिये।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 269/23 धारा 302/120बी भादवि0

आपराधिक इतिहास-

जयहिन्द पुत्र लालजीत नि0 ग्राम फत्तनपुर थाना पवई आजमगढ

- 1.मु0अ0सं0 270/17 धारा 147/149/323/427/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ
- 2.मु0अ0सं0 70/20 धारा 147/148/149/323/427/452/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ
- 3.मु0अ0सं0 88/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ
- 4.मु0अ0सं0 58/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ
- 5.मु0अ0सं0 269/23 धारा 302/120बी भादवि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, थाना पवई जनपद आजमगढ।
- 2.नि0अपराध अनुराग कुमार थाना पवई जनपद आजमगढ।
- 3.का0 विरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ।
- 4.रि0 का0 अमरजीत थाना पवई जनपद आजमगढ।
- 5.का0 पवन यादव थाना पवई जनपद आजमगढ।
6. का0 शुभम मिश्रा थाना पवई जनपद आजमगढ।

थाना देवगांव
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.03.2023 को अभियुक्त 1. नसीम 2.मो0 आकिब 3.मो0 अरहम 4. मकसूद अहमद 5.मो0 शाजिद 6.जियाद 7. सुहेब निवासी कटौली तथा 8.मो0 जाहिद, ग्राम कटौली खुर्द में गोकशी कर रहे थे कि मुखबीर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस पार्टी ने 110 किलो प्रतिबंधित मांस, 02 लकड़ी का ठेहा, 02 नाजायज चाकू, 04 लौहे के बाँट तथा 01 स्कार्पियो वाहन के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। तथा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 391/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.08.2023 को प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 391/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तों 1 नसीम अहमद पुत्र रियाज उर्फ नियाज 2. मो0 आकिब पुत्र नसीम अहमद 3. मकसूद अहमद पुत्र नियाज अहमद 4.मो0 शाजिद पुत्र सगीर अहमद निवासीगण ग्राम कटौली खुर्द थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को ग्राम कटौली खुर्द से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 391/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. नसीम अहमद, 2. मो0 आकिब, 3. मकसूद अहमद, 4. मो0 शाजिद,

1. मु0अ0सं0 391/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध धारा नि0 अधि0 बढोत्तरी धारा- 34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1 नसीम अहमद पुत्र रियाज उर्फ नियाज
2. मो0 आकिब पुत्र नसीम अहमद
3. मकसूद अहमद पुत्र नियाज अहमद
- 4.मो0 शाजिद पुत्र सगीर अहमद, समस्त निवासी ग्राम कटौली खुर्द थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अनिल सिंह, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
3. का0 शैलेन्द्र थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर
दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 26.08.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी सतीश चौहान पुत्र तिलक चौहान साकिन सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर आजमगढ़ ने वादी की पुत्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा वादी की पुत्री द्वारा के लिये कहने पर विपक्षी द्वारा शादी करने से इन्कार करते हुये गाली-गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-248/2023 धारा 376.504.506 भादवि0 पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28/08/2023 को उ0नि0 अजीज खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभियुक्त सतीश चौहान पुत्र तिलक चौहान नि0 सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को नन्दाव मोड से समय करीब 11:05 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 248/2023 धारा 376.504.506 भादवि थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सतीश चौहान पुत्र तिलक चौहान नि0 सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजीज खान थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 2.का0 चन्दन कुमार , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 3.का0 अतुल प्रताप सिंह , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 4.रि0का0 आदर्श कुमार , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी

चेकिंग के दौरान अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार; स्कार्पियो वाहन सीज

दिनांक 27.08.2023 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान अभियुक्त विजय सिंह पुत्र महाजीत सिंह निवासी ग्राम अइनिया पो0 बहोपुर (धर्मपुर) थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को नरौली तिराहा से समय करीब 19:20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ तथा स्कार्पियो वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 325/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 325/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त- विजय सिंह पुत्र महाजीत सिंह साकिन अइनिया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 194/19 धारा 323/325/504/506 भादवि 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA SC/ST ACT थाना कन्धरापुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0-325/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
2. हे0कां0 सर्वेश यादव थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- (महराजगंज)

लूट का 01 वांछित सह-अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.07.23 को वादी मुकदमा मेवालाल पुत्र छोटई प्रसाद ग्राम नौबरार त्रिपुरारपर खालसा महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी युनियन बैंक महराजगंज मे फेकू सेठ का 2 लाख रुपया उनके खाते मे जमा करके शेष 50 हजार रुपया कपड़े के झोले में रखकर मोटर साईकिल की डिग्गी मे डालकर जनसेवा सहदेवगंज जा रहा था, कि शिवशंकरी मोड के आगे पहुंचा तभी पीछे से तेज रफ्तार मोटर साईकिल से आये 02 व्यक्तियों ने मेरी मोटरसाईकिल की चाबी खींच लिया। मैं तेजी से आगे भागा तथा बेचन किसान इण्टर कालेज के आगे भीड़ देखकर अपनी मोटरसाईकिल रोक दिया तथा तभी पीछा करते हुये दोनो व्यक्ति आ गये तथा मोटरसाईकिल से उतरकर एक व्यक्ति अपने हाथ मे तमंचा लेकर मेरे पास आया तथा जान से मारने की धमकी देते हुये डिग्गी मे रखा पैसा लेकर चला गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/2023 धारा 392 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना सह अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र अरविन्द सिंह सा0 पडई परानपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 28.08.23 थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. विक्रम सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी पडई परानपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को भैरोदासपुर पुलिस से समय करीब 05:30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विक्रम सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी पडई परानपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 -232/2023 धारा 392/411/120बी भादवि0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
- 2-का0 मनीष कुमार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
- 3-का0 वीरेन्द्र भारतीया थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।